

नियम 95 : कतिपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय

- ¹[(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार उसके आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर या अन्य अन्यथा, इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के विवरण के साथ आवेदन करेगा।]
- (2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02** जारी की जाएगी।
- (3) आवेदक द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि—
- ²[(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, माल का आवक प्रदाय या सेवाएं या दोनों किसी कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे।] (ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक में निर्दिष्ट है; और
- (ग) ऐसे अन्य निर्बंधन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों पूरी करता हो।
- ³[परन्तु जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित नहीं है ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदाय कर का प्रतिदाय केवल तभी होगा यदि बीजक की प्रति आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है और **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय आवेदन के साथ दाखिल की गई है।]
- (4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी और संदाय को लागू होंगे।
- (5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार है जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है इस अध्याय के उपबंधों से असंगत है तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 75/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उप-नियम (1) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आंतरिक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सहायता केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के कथन सहित **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं द्वारा आंतरिक प्रदायों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा।"

² अधिसूचना क्रमांक 26/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा खंड (क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(क) माल या सेवा या दोनों के आंतरिक प्रदायों का एक कर बीजक के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त हुआ है A[.....]

A अधिसूचना क्रमांक 75/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा शब्द "और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़कर यदि कोई है एकल कर बीजक के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य" विलोपित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2017)।

³ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2021)।